न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः श्री मनोज सोंलकी, R.A.S.

प्रकरण संख्याः 17/2019 दर्ज तारीख 11.11.2019

उनवान मुकदमा

1. श्री रामा पिता स्व. श्री ताराचंद जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तेहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री भुरीया पिता स्व. श्री ताराचंद जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तेहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्री शान्तिलाल पिता स्व. श्री ताराचंद जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तेहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्री रावजी पिता स्व. श्री ताराचंद जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तेहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....**वादीगण**

अभिभाषकः– श्री नानालाल चरपोटा

बनाम

1. श्री अंशु पुत्र स्व. बापु जाति भील उम्र 14 वष, अवयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) सरंक्षक एवं प्राकृतिक माता श्रीमती सुगना पत्नी स्व. बापु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री ईश्वर पुत्र स्व. बापु जाति भील उम्र 11 वर्ष अवयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) सरंक्षक एवं प्राकृतिक माता श्रीमती सुगना पत्नी स्व. बापु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्री उंकार पिता बारीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्री केरेंग पत्नी स्व.श्री लालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्री कर्मचंद पिता रामला जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती केसर पत्नी स्व. रामला जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्री कान्तीलाल पुत्र लालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. श्रीमती गवरॉ पत्नी स्व. भारता जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

9. श्री चान्दमल पिता रामला जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10 श्री छगन पिता श्री नाथु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. श्री देवीलाल पिता खेमजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. श्री धनजी पिता होमला जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
13. श्री नाकुडा पिता कचरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
14. श्री नारायण पिता पुंजीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
15. श्री नारायण पिता लालू जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाडा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
16. श्री परथा पिता हुरजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
17. श्री प्रभु पिता कालिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
18. श्री पारू पुत्र होमला जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
19. श्री पारीया पुत्र कालीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाडा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
20. श्री बसन्त पुत्र कालीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
21. श्री बहादुर पुत्र नाथु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
22. श्री बापु पुत्र लालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
23. श्रीमती भुरी पत्नी स्व. खेमजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
24. श्री मगन पुत्र खेमजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
25. श्री मन्सु पुत्र नाथु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाडा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
26. श्री महेन्द्र पुत्र रामला जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
27. श्री मोहन पुत्र कचरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
28. श्री रकमा पुत्र रामला जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
29. श्रीमती रतन पत्नी स्व. कचरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
30. श्री रतनलाल पुत्र खेमजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधि...
छोटी सरवन, जि.बांसवाड़ा

कृ.प.उ.3

31. श्री रमेश पुत्र कचरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
32. श्री रामचन्द्र पुत्र कचरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
33. श्रीमती वजनी पत्नी स्व. नाथु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटी सरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
34. श्री वीरा पुत्र बारीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
35. सुश्री शामला पुत्री भारता जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
36. श्रीमती सुगना पत्नी बापु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
37. श्री सेतान पुत्र कालीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
38. श्री सेवा पुत्र कालीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
39. श्री हकरू पुत्र नाथु जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
40. श्री हुरमा पुत्र होमला जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
41. श्री हरीराम पुत्र कचरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
42. श्री हरीशचन्द्र पुत्र कालीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
43. श्री राज्य–जरिये भूमिधारी तेहसीलदार, तेहसील कार्यालय छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....प्रतिवादीगण

अभिभाषकः– श्री जनक कुमार डिन्डोर
(प्रतिवादी कमांक 1 से 42 तक की ओर से)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांक :–24.08.2021**

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगणो के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि, वादीगणो के अनुसार वादीगण के पिताजी का मूल नाम ताराचन्द एवं लाड प्यार का नाम तारी है अर्थात ताराचन्द व तारी वादीगण के पिता के ही नाम है एवं ताराचन्द के पिता का नाम पुंजीया है, वादीगण के पिता ताराचन्द उर्फ तारी की मृत्यु दिनांक 19/09/2018 एवं वादीगण की माता श्रीमती अमीरी (हमीरी) की मृत्यु दिनांक 20/04/2018 को घर पर हो चुकी है। वादीगण नंबर 1 से 4 तक, स्व. ताराचन्द उर्फ तारी के निकटत्तम उत्तराधिकारी व वारीस होकर उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति पर काबिज है। वादीगण ने अपने पिता ताराचन्द (तारी) की वंशावली भी वाद पत्र मे बतायी है। वादीगण ने वाद पत्र मे कथन किया कि, वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 42 तक से रक्त सम्बन्ध नहीं है।

वादीगण ने ताराचन्द पिता पुंजा के नाम से जारी आधार कार्ड नंबर 3322 2080 4039, निर्वाचन विभाग का पहचान पत्र कमांक RJ/16/129/613031 एवं वादीगण के स्वयं के नाम से जारी आधार कार्ड, राशन कार्ड, अन्य सरकारी प्रमाण फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किये।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन जि.बांसवाड़ा (राज.)

वादीगण ने वाद पत्र मे कथन किया कि, वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 से लगायत 42 तक के संयुक्त नाम से जमाबंदी (संवत 2074 से 2077 तक) खाता संख्या 351 (नया) 26 (पुराना) के खसरा नंबर 1134 क्षैत्रफल 0.2993 हैक्ट., खसरा 1135 क्षैत्रफल 0.7119 हैक्ट., खसरा नंबर 1143 क्षैत्रफल 0.9223 हैक्ट. खसरा नंबर 1158 क्षैत्रफल 1.2459 हैक्ट., खसरा नंबर 1167 क्षैत्रफल 0.9304 हैक्ट., खसरा नंबर 1170 क्षैत्रफल 0.8737 हैक्ट. खसरा नंबर 1171 क्षैत्रफल 0.8090 हैक्ट. खसरा नंबर 1174 क्षैत्रफल 1.8122 हैक्ट. खसरा नंबर 1180 क्षैत्रफल 1.2701 हैक्ट. खसरा नंबर 1195 क्षैत्रफल 0.2346 हैक्ट. खसरा नंबर 1197 क्षैत्रफल 0.1133 हैक्ट. खसरा नंबर 1198 क्षैत्रफल 0.0809 हैक्ट. खसरा नंबर 1213 क्षैत्रफल 3.8994 हैक्ट. खसरा नंबर 1273 क्षैत्रफल 0.9142 हैक्ट. खसरा नंबर 1277 क्षैत्रफल 0.8899 हैक्ट., खसरा नंबर 1289 क्षैत्रफल 2.0225 हैक्ट. खसरा नंबर 697 क्षैत्रफल 0.5016 हैक्ट. खसरा नंबर 773 क्षैत्रफल 1.0113 हैक्ट., खसरा नंबर 786 क्षैत्रफल 0.5987 हैक्ट, खसरा नंबर 801 क्षैत्रफल 0.9223 हैक्ट., खसरा नंबर 987 क्षैत्रफल 1.3268 हैक्ट., खसरा नंबर 988 क्षैत्रफल 0.4643 हैक्ट. खसरा नंबर 989 क्षैत्रफल 0.3883 हैक्ट. एवं खसरा नंबर 990 क्षैत्रफल 3.6324 हैक्ट. कुल खसरे 24 कुल क्षैत्रफल 26.8753 हे. कुल लगान रूपीया 10–1600 पैसा वाके राजस्व गांव छोटीसरवन, पटवार मण्डल छोटीसरवन, तेहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित होकर पैत्रक खाते व स्वामित्व की कृषि भूमि है। उपरोक्त खाते मे वादीगण अपने 1/30 भाग पर एवं प्रतिवादीगण उनके हिस्से पर बाप दादा के समय से काबिज होकर कमा रहे है एवं फसल प्राप्त कर रहे है और लगान मिल कर अदा कर रहे है। वादीगण ने कथन किया कि, उनके मोके पर चार मकान इन्दिरा आवास मे बने हुवे है।

वादीगण ने वाद पत्र मे कथन किया कि, वाद ग्रस्त खसरा नंबरान 677, 773, 786, 801, 988, 909, 1134, 1135, 1143, 1158, 1197, 1213, 1273, 1277, 1285, 967, 991, 1167, 1171 कुल बन्दोबस्ती खेत 19 कुल रकबा 140–02 बीघा एवं खसरा नंबर 1171, 1174, 1180, 1195 व 1198 कुल खेत 5 कुल रकबा 26–00 बीघा इस प्रकार योग खसरा 24 का कुल रकबा 166–02 बीघा वाके राजस्व ग्राम छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा स्थित पूर्व मे वादीगण के दादा पुंजिया व उनके सगे भाई बारजी, हुमला, कालिया पिता विठला के नाम से खाते मे दर्ज रहे एवं मिल कर कमाने लगे और कालान्तर मे परिवार बढ़ने से आपसी सहमति से कृषि भुमि का मोके पर बंटवारा कर लिया। वादीगणके दादा पुंजिया पिता विठला के देहान्त के बाद पुंजिया के वारीसान (पुत्रगण) कचरू, तारी, नारायण पिता पुंजिया के नाम पर नामान्तरकरण नंबर 72 दिनांक 29/06/1961 को खोला गया लेकिन नामान्तरकरण संख्या 72 मे वादीगण के पिता का नाम ताराचन्द के बजाय तारी लिख दिया और इस नामान्तरकरण का जमाबंदी संवत 2027 से 2030 मे अमल दरामद के समय राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा त्रुटिपूर्वक तारी नाम के बजाय नारीया पिता पुंजिया, बिना किसी आधार के लिख दिया गया। जबकि पुंजिया पिता विठला के पुत्रो मे नारीया पिता पुंजिया नाम से कोई पुत्र नहीं हुवा है और ना हीं नामान्तरकरण संख्या 72 मे नारीया पिता पुंजीया नाम का अंकन था। इस प्रकार राजस्व त्रुटि के कारण वर्तमान राजस्व जमाबंदी मे भी खातेदार की कम संख्या 19 पर वादीगण के पिता का नाम नारीया पिता पुंजीया 1/30 हिस्सा गलत दर्ज चला आ रहा है।

वादीगण ने वाद पत्र मे यह भी कथन किया कि, उनके माता–पिता का देहान्त हो चुका है और वादीगण उनके पिता के हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर आज तक कमाते चले आ रहे है परन्तु प्रथम जमाबंदी मे राजस्व कर्मचारीयों ने नामान्तरकरण नंबर 72 मे दर्ज नाम तारी के स्थान पर नारीया पिता पुंजीया, बिना किसी आदेश व आधार के, गैरकानुनी तरीके से विधि विरूद्व वालां–वालां राजस्व अभिलेख मे दर्ज कर दिया है और पूर्व के गलत अंकन के कारण तब से लेकर वर्तमान जमाबन्दी खाता नम्बर 351 (नया) 26 (पुराना) मे खातेदारान की कम संख्या 19 पर भी नारीया पिता पुंजीया ही दर्ज है। वादीगण ने कथन किया कि, नारीया पिता पुंजीया नाम का वादीगण के परिवार या गांव मे कोई व्यक्ति/कृषक नहीं है और वादीगण के हिस्से 1/30 पर भी नारीया पिता पुंजीया नामक कोई कृषक काबिज नहीं है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 72 मे दर्ज तारी पिता पुंजीया नाम का जमाबंदी मे अमल दरामद करते समय नारीया पिता पुंजीया गलत दर्ज किये जाने से वादीगणो का स्वयं का नाम विरासत मे अब तक दर्ज नहीं सका है इस लिये नारीया पिता पुंजीया के स्थान पर सही नाम ताराचंद पिता पुंजीया करना आवश्यक है अन्यथा वादीगण को ऐसी असहाय हानि होगी जिसका रूपीयो मे मुल्यांकन नही हो सकेगा

उपखण्ड अधिकारी (राज.) छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा

और वादीगण अपने हक व अधिकार से वंचित रह जायेगे और एक से अनेक कार्यवाहीयो करने को विवश होना पड़ेगा। वादीगण ने वाद मे कथन किया है कि, उनके पिता ने कभी भी उनका नाम नहीं बदला और वादीगण के पिता निरक्षर कृषक थे और पूर्व मे खाते मे गलत नाम अंकित होने की जानकारी नहीं रही है। वादीगण उनके पिताजी के देहान्त के बाद दिनांक 11/07/2019 को पटवार मण्डल छोटी सरवन विरासत मुटेशन कराने हेतू गये तो कहा गया कि, तुम्हारे पिताजी का नाम खाते मे नहीं है और खाते मे नारीया पिता पुंजीया दर्ज है। जिस पर वादीगण ने सम्बन्धित राजस्व अभिलेख जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियॉं आवेदन कर, दिनांक 22/07/2019 को प्राप्त की तो प्रथम बार ज्ञात हुवा है कि, वादीगण के पिता का नाम खाते मे दर्ज ही नहीं है और मुटेशन संख्या 72 से जो तारी नाम दर्ज हुवा था उसे भी जमाबंदी मे नारीया पिता पुंजीया कर दिया गया। वादीगण ने कथन किया कि, वादीगण को वाद व्यवहार कारण दिनांक 28/09/2019 को प्रतिवादीगण नंबर 1 से लगायत 42 तक को सहयोग करने का कहने पर इंकार कर देने और दिनांक 08/10/2019 को पटवारी द्वारा न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिये जाने से न्यायालय परिसीमा मे उत्पन्न हुवा है। वादीगण ने कथन किया कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि से उनके हित जुड़े हुवे होकर परिवार का पालन पोषण होता है, वादीगण के पक्ष मे सुविधा सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टीया प्रकरण बनता है।

वादीगण ने अन्त मे निवेदन किया कि, उपरोक्त खाता संख्या 351 (नया) 26 (पुराना) कुल खेत 24 कुल क्षैत्रफल 26.8753 हेक्टयर वाके राजस्व ग्राम छोटीसरवन, पटवार मण्डल छोटीसरवन, तेहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) स्थित मे से वादीगण को 1/30 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे और राजस्व अभिलेख मे नारीया पिता पुंजीया के नाम की प्रविष्टिया विधि विरूद्व व गैरकानुनी होने से निरस्त कर रेकार्ड मे शुद्धि की जावे। उस हेतु भूमिधारी को आदेश दियें जावे।

वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी खाता संख्या 351 (नयी) दिनांक 20/09/2019,संवत 2074–2077 कुल पृष्ठ संख्या तीन (एक्जी 01), नकल जमाबंदी खाता संख्या 103 (नयी) दिनांक 22/07/2019 संवत 2027 से 2030 कुल पृष्ठ संख्या दो (एक्जी 2),नकल नामान्तरकरण संख्या 72 स्वीकृत दिनांक 29/06/1961 (एक्जी 3), वादीगण के आधार कार्ड की फोटो कापी (एक्जी. 4, 5, 6 व 7), वादीगण के पिता ताराचन्द का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05/10/2018 (एक्जी. 8), वादीगण की माता श्रीमती अमीरी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17/05/2018 (एक्जी. 9) ,वादीगण के पिता स्वर्गीय ताराचंद का आधार कार्ड की फोटो प्रति (एक्जी. 10) एवं निर्वाचन आयोग से जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति (एक्जी. 11) प्रस्तुत कर, प्रदर्शित कराये गये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो की तलबी हेतु सम्मनस जारी किये गये। दिनांक 21/01/2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 42 की ओर से जरिये वकील राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो शामील पत्रावली किया गया। प्रतिवादी नंबर 43 भूमिधारी सम्मन तामीली के बावजूद भी न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए एवम् कई अवसर दिये गये परन्तु भूमिधारी प्रतिवादी नंबर 43 की ओर से जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के कारण दिनांक 13/08/2021 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रस्तुत वाद पत्र मे प्रतिवादी नंबर 1 से लगायत 42 तक का राजीनामा स्वीकार कर लिया गया है एवं प्रतिवादी नंबर 43 भूमिधारी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण, इस वाद पत्र मे किसी प्रकार से भी विवादक निर्मित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बिना विवादक निर्मित किये वाद पत्र का निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

हमने वादीगण के प्रस्तुत एक्जी. 1 से लगायत 11 तक का सुक्ष्मता से अध्ययन किया तो पाया कि, जमाबन्दी खाता संख्या 351 (नयी) दिनांक 20/09/2019, संवत 2074–2077 कुल तीन पृष्ठ एक्जी 01 मे खातेदार की क्रम संख्या 19 पर नारीया पुत्र पुंजीया हिस्सा 1/30 दर्ज है, जमाबंदी खाता संख्या 103 (नयी) दिनांक 22/07/2019 संवत 2027 से 2030 कुल पृष्ठ दो एक्जी. 2 मे भी नारीया पिता पुंजीया दर्ज है, जबकि नारीया पिता पुंजीया का नाम इस खाते मे किस आधार पर आया, ऐसे किसी आदेश या डिक्री का उल्लेख रेकार्ड पर नहीं है और नामान्तकरकण संख्या 72 मे भी नारीया पिता पुंजीया का नाम लिखा हुवा नहीं है जिससे यह सिद्व है कि इस खाते मे नारीया पिता पुंजीया गलत दर्ज हुवा है।

उपखण्ड अधिकारी छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

नामान्तरकरण संख्या 72 मे तारी पिता पुंजीया लिखा हुवा है जो वादीगण के कथन एवं बतायी गयी वंशावली से साबित है। इस प्रकार वाद पत्र एवं प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ताराचन्द व तारी नाम वादीगण के पिताजी के है यह सिद्ध हो जाता है एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से भी यह सिद्ध है कि, उक्त खाते के अभिलेख मे नारीया पिता पुंजीया नाम की प्रविष्टी बिना किसी ठोस आधार के की गयी है।

वाद पत्र मे वादीगण संख्या 1 से लगायत 4 तक के आधार कार्ड की फोटो प्रतियॉ एक्जी. 4, 5, 6 व 7, वादीगण के पिता ताराचंद के नाम की आधार कार्ड की फोटो प्रति एक्जी. 10 व पहचान पत्र की फोटो प्रति एक्जी. 11 से यह मानने योग्य है कि, वादीगण के पिता का मूल नाम ताराचन्द है, एवं वादीगण के पिताजी के आधार कार्ड व पहचान पत्र मे भी नाम ताराचन्द पिता पुंजीया अंकित है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05/10/2018 एक्जी. 8 मे भी मृतक ताराचन्द पिता पुंजीया दर्ज है एवं वादीगण की माता श्रीमती अमीरी के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17/05/2018 एक्जी. 9 मे भी पति के कॉलम मे ताराचन्द लिखा हुवा है। प्रतिवादीगण नंबर 1 से लगायत 42 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा से भी यह सिद्ध है कि, वादीगण ही स्वर्गीय ताराचन्द पिता पुंजीया के उत्तराधिकारी होकर वादग्रस्त खाते मे 1/30 हिस्से पर काबिज काश्त कमा रहे है और नारीया पिता पुंजीया 1/30 हिस्सा गलत दर्ज हुवा है। वादीगण ने वाद पत्र के अनूतोष मे खातेदार घोषित करने व नारीया पिता पुंजीया 1/30 हिस्से के स्थान पर वादीगण के नाम की प्रविष्टी किये जाने की प्रार्थना की है। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख मे नारीया पिता पुंजीया नाम की प्रविष्टीया गैरकानुनी पायी जाने से निरस्तनीय है एवं वादीगण खातेदारी घोषणा के पात्र है। इस लिये यह वाद पत्र वादीगण के पक्ष मे निर्णित करना हम उचित समझते है।

हमने प्रकरण मे दिनांक 17/08/2021 को वादीगण के वकील की बहस को सुना। वादीगण वकील ने बहस मे बताया कि, वादीगण के पिताजी के लाड प्यार का नाम तारी था और मूल नाम ताराचन्द था। जिसमे तारी नाम नामान्तरकरण संख्या 72 मे दर्ज किया गया परन्तु नामान्तरकरण संख्या 72 को जमाबंदी अभिलेख प्रविष्टी करने के समय राजस्व कर्मचारीयो ने बिना किसी डिकी, आदेश व आधार के नारीया पिता पुंजीया गलत लिख दिया जबकि नारीया पिता पुंजीया वादीगण के परिवार मे नहीं है। वादीगण खाते पर बाप दादा के समय से काबिज होने के बावजूद भी उक्त गलत त्रुटि के कारण खातेदार बनने से वंचित हो गये है। इसमे वादीगण का कोई दोष नहीं है, वकील वादीगण ने यह भी निवेदन किया कि, प्रतिवादीगण नंबर 1 से 42 तक की ओर से प्रस्तुत राजीनामा से भी वादीगण अनूतोष प्राप्त करने के हकदार है। अतः वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण के हीत प्रभावित होगे। पत्रावली पर आये तथ्य, प्रस्तुत राजीनामा एवं वादीगण वकील की बहस पर मनन करने से वाद पत्र स्वीकार करने एवं इस खाते के राजस्व अभिलेख मे की गयी गलत प्रविष्टीया निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त खसरा नंबर 1134, 1135, 1143, 1158, 1167, 1170, 1171, 1174, 1180, 1195, 1197, 1198, 1213, 1273, 1277, 1289, 697, 773, 786, 801, 987, 988, 989 एवं 990 कुल खसरे 24 कुल क्षेत्रफल 26.8753 हेक्टयर कुल लगान रूपीया 10—1600 पैसा वाके राजस्व गांव छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) स्थित मे वादीगण के पिता नारिया पिता पुंजीया 1/30 हिस्से की प्रविष्टीया गलत होने से निरस्त कर उसके स्थान पर वादीगण के पिता का उपनाम तारी एवं मुल नाम ताराचन्द राजस्व अभिलेख मे शुद्वि के जरिये अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है राजस्व अभिलेख मे वादीगण को 1/30 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर, वादीगण का नाम जरिये विरासत नामान्तरण 1/30 हिस्से पर खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदअनुसार डिग्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज सोलंकी)
उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

अन्तिम डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 17 जाब्ता दिवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा बइजलास श्री मनोज सोंलकी, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 17/2019 दर्ज तारीख 11.11.2019

उनवान मुकदमा

रामा पिता स्व. श्री ताराचंद जाति भील, निवासी गांव कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) एवं अन्य

–वादीगण

अभिभाषक–श्री नानालाल चरपोटा

बनाम

1– श्री अंशु पुत्र स्व. श्री बापु जाति भील, नाबालिग की संरक्षिका माता श्रीमती सुगना पत्नी श्री स्व. बापु भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) एवं अन्य कुल 43

–प्रतिवादीगण

अभिभाषक–श्री जनक कुमार डिंडोर,
(प्रतिवादी नंबर 1 से 42 तक कीओर से

वाद अंतर्गत धारा 88, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजिर वकील वादीगण श्री नानालाल चरपोटा जानिब प्रतिवादीगण वकील श्री जनक कुमार डिंडोर पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

अतः राजस्व ग्राम छोटीसरवन, पटवार मण्डल छोटीसरवन, तेहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा स्थित के सर्वे नम्बर खसरा नंबर 1134, 1135, 1143, 1158, 1167, 1170, 1171, 1174, 1180, 1195, 1197, 1198, 1213, 1273, 1277, 1289, 697, 773, 786, 801, 987, 988, 989 एवं 990 कुल खसरे 24 कुल क्षैत्रफल 26.8753 हेक्टयर मे वादीगण के पिता नारिया पिता पुंजीया 1/30 हिस्से की प्रविष्टीया गलत होने से निरस्त कर उसके स्थान पर वादीगण के पिता का उपनाम तारी एवं मुल नाम ताराचन्द राजस्व अभिलेख मे शुद्वि के जरिये अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख मे वादीगण को 1/30 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर, वादीगण का नाम 1/30 हिस्से पर खाते मे दर्ज करने तथा वादीगण का नाम जरिये विरासत नामान्तरण 1/30 हिस्से पर खाते मे दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिगरी जारी की जाती है।

नोज............................ मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक........................ का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.08.2021 को जारी की गई।

मुहर

(मनोज सोलंकी)
उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दालय	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		मुतफरिक	

<u>नोट</u> : इस खर्चे के फार्म पर कुछ खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरीये दिलाया हो या नही दर्ज कराना चाहिये।